(15)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख.....तक

जिला.....मधुबनी ..संख्या.– 20/11–12, 89/18–19, 88/18–19 का प्रकार : बिहार भूमि सुधार एवं अधिकतम सीमा निर्धारण अधिनियम की धारा– 16(3) अरिया सिलिंग अपील वाद

अर्जीकारः– अम्बुज कुमार सिंह

प्रतिपक्षीः– शिवंकर सिंह वगैरह

आदेश का कम संख्या और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित।
	अपीलकर्ताः– 1– अम्बुज कुमार सिंह पिता–डॉ0अम्बिका प्रसाद सिंह द्वारा पावर ऑफ एटॉर्नी श्रीमती नीलम सिंह, साकिन–गोशाला रोड वार्ड नं. 1 जयनगर शहर। प्रतिपक्षीगणः–1– शिवंकर सिंह पिता स्व0 बौएलाल सिंह साकिन–नरार थाना–कलुआही,.....**प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष।** 2– प्रमोद नारायण वर्मा उर्फ नित्यानंद लाल दास 3– चन्द्र प्रकाश लाल कर्ण पेसरान स्व0 तुलाकृष्णलालदास 4– मुसमात तारा देवी पति स्व0तुलाकृष्णलाल दास सभी साकिनान–राघोपुर बलाट, थाना–राजनगर .....**प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष।**	
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
19.12.18	प्रस्तुत अपील वाद समाहर्ता महोदय, के माननीय न्यायालय से पत्रांक–3053/जि0वि0 दिनांक–06.09.2018 से सुनवाई कर निष्पादन हेतु हस्तान्तरित हुआ। इस न्यायालय में वाद संचालन के कम में दोनों दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से अपना–अपना पक्ष रखा गया। **<u>अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>** 1– विवादित भू–खण्ड खाता संख्या–1 पूराना खेसरा संख्या–1740 एवं नया खेसरा संख्या–7683 रकवा 0–12–0 (बारह कट्ठा) मौजा–नरार थाना–खजौली वर्तमान–कलुआही जिला मधुबनी में अवस्थित है जो प्रमोद नारायण वर्मा उर्फ नित्या नंद लाल दास, चन्द्र प्रकाश लाल कर्ण एवं मुसमात तारा देवी प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के स्वत्व एवं दखल में थी जिन्होने पैसे की आवश्यकता होने पर जमीन बिकी करने की इच्छा जाहिर की। अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि कय करने हेतु इच्छूक थे किन्तु प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष शिवंकर सिंह को निबंधित केवाला से भूमि बिकी कर दिया। जबकि प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष न तो प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत हैं और न ही प्रतिपक्षी द्वितीय पक्ष के सह भागीदार। 2– प्रश्नगत भूमि का किस्म– **दो फसला असिंचित कृषि** भूमि है। 3– अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि के सटे पश्चिम के अरिया रैयत हैं। भूमि का विवरण अनुसूची–2 में अंकित है। 4– मात्र भू–हदबंदी अधिनियम की धारा–16(3) को विफल करने के उद्देश्य से एवं गैर कानूनी ढ़ंग से निबंधित केवाला के पश्चिम चौहद्दी में अपीलकर्ता का नाम दर्ज नहीं किया गया। पश्चिम चौहद्दी में बीभा देवी एवं रामप्रीत पासवान दर्ज किया जबकि अपीलकर्ता का नाम दर्ज होना चाहिए। 5– अपीलकर्ता प्रश्नगत भूमि के अग्रकय के अधिकारी होने के नाते निम्न न्यायालय में अग्रकय का दावा आवेदन दायर किया। केवाला में अंकित जरसेमन अतिरिक्त दस प्रतिशत चालान के माध्यम से निम्न न्यायालय में	

निम्न न्यायालय में अग्रक्रय का दावा आवेदन दायर किया। केवाला में अंकित जरसेमन अतिरिक्त दस प्रतिशत चालान के माध्यम से निम्न न्यायालय में जमा किया गया एवं प्रपत्र–13 में प्रतिपक्षियों को सूचना निबंधित डाक से भेजी गई। प्रतिपक्षीगणों ने निम्न न्यायालय में प्रत्युत्तर दाखिल किया जिसमें गलत आधार दिया।

6– निम्न न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत एक भी आधार को नहीं माना और न ही प्रश्नगत भूमि का स्थल निरीक्षण किया।

7– निम्न न्यायालय ने एल0सी0वाद अभिलेख संख्या–1/2009–10 में बिना किसी आधार के आवेदक के अग्रक्रय दावा को खारिज करते हुये दिनांक–18.12.2010 को आदेश पारित कर दिया जिसके विरूद्ध अपील वाद इस न्यायालय में दायर किया गया है। निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द किया जाय।

<u>प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत पक्ष का मुख्य अंशः–</u>

1– प्रतिपक्षी प्रथम पक्ष भूमिहीन की श्रेणी में हैं उक्त मोकदमा में दर्ज खरीदगी जमीन से पूर्व प्रतिपक्षी के पास एक बीघा जमीन से भी कम जमीन था जो भूमिहीन की श्रेणी में आता है जिसका शपथ पत्र निम्न न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।

2– निम्न न्यायालय ने सभी सबूतों के आधार पर आदेश पारित किया जो विधि–सम्मत वो वैध्य है। निम्न न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आदेश बरकरार रखते हुये अपील आवेदन को खारिज किया जाय।

निम्न न्यायालय द्वारा वाद अभिलेख संख्या–01/09–10 में दिनांक– 18.12.2010 को पारित आदेश का मुख्य अंशः–

भूमि सुधार उप समाहर्ता ने अपने आदेशफलक में लिखा है कि उनके द्वारा दोनों पक्षों के समक्ष स्थलीय जॉच किया। स्थलीय जॉच में आवेदक को अरिया रैयत नहीं पाया। विपक्षी प्रथम पक्ष एक एकड़ से कम भूमि धारित करते हैं जो भूमिहीन की श्रेणी में आता है। आवेदक द्वारा कोई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि आवेदक प्रश्नगत भूमि के अरिया रैयत एवं सह भागीदार हैं। आवेदक को प्रश्नगत भूमि का अग्रक्रय का अधिकारी नहीं मानते हुये उनके अग्रक्रय वाद आवेदन को खारिज कर दिया गया।

निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न प्रश्नगत भूमि केवाला में दर्ज भूमि का विवरणः–

खाता–1 खेसरा–1740 पुराना 7683 नया चौहद्दीः– उत्तर–मंजूला देवी वो शोभा पासवान वो पानो देवी इमरोजे खरीदार द0–सुरेन्द्र कुमर वो राजू कुमर वो लाल बहादुर सिंह पुरब–महेश्वर दास इमरोजे खरीदार पश्चिम–वीभा देवी वो रामप्रीमत पासवान।

निष्कर्षः–

अपीलकर्ता का अपील आवेदन, प्रतिपक्षी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर एवं दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस का अवलोकन एवं परिसिलन किया। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश का भी अवलोकन किया गया। निम्न न्यायालय अभिलेख में संलग्न प्रश्नगत भूमि केवाला में दर्ज चौहद्दी में अपीलकर्ता का नाम नहीं है। भूमि सुधार उप समाहर्ता ने दोनों पक्षों के समक्ष स्थलीय जॉच किया। निम्न न्यायालय ने आवेदक को अरिया रैयत नहीं माना।

ऐसी स्थिति में मैं पाता हूँ कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेशमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः निम्न न्यायालय अभिलेख संख्या–01/09–10 में दिनांक– 18.12.2010 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी द्वारा पारित आदेशको बरकरार रखते हुये अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

आदेशकी प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी को वापस लौटावें।

आदेश से विक्षुब्ध पक्ष सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते हैं।

लेखापित

19.12.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।

19.12.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।